न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/15/2025	2025/54	26.03.2025	02.06.2025

1. सरजीत पुत्र बुद्धि खां जाति मेव,
2. सोयब पुत्र बुद्धि खां जाति मेव,
   निवासीयान छांगलकी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सौराफ पुत्र सुब्बन जाति मेव निवासी छांगलकी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—असल प्रार्थी

2. अबदुल्ला पुत्र मामला जाति मेव,
3. आजाद पुत्र मामला जाति मेव,
4. कमरूददीन पुत्र मामला जाति मेव,
5. सहजाद खां पुत्र मामला जाति मेव,
6. ममरेज पुत्र बुद्धि जाति मेव,
7. मोहिन पुत्र बुद्धि जाति मेव,
   निवासीयान छांगलकी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

— तरतीबी अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—

01—श्री शौकत खान —वकील प्रार्थीगण
02—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील असल अप्रार्थी
03—श्री गितेश —वकील तर0 अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के प्रकरण बउनवान सौराफ बनाम अबदुल्ला वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मु0 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के विरूद्ध असल अप्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लछमनगढ के यहां एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251क राज०टी०एक्ट वाद बअनुवान सौराफ बनाम अबदुल्ला वगेरा प्रस्तुत किया हुआ हैं जिसमें आगामी पेशी 26.3.25 नियत है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री मोहकम चौधरी आर ए एस के द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानां के अनुसार कार्यवाही न कर मनमाने तोर पर सुनवाई की जा रही है और पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रख कर मुकदमें का जल्दबाजी में निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 1 के बेजा दबाव व प्रभाव में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है तथा उनके निवास पर भी आते जाते देखा है तथा अप्रार्थी सं० एक ने गांव में एलानिया कहा है कि हमारी साहब से बात हो गई है ओर मुकदमा का फैसला हमारे हक में होगा।

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐन केन प्रार्थना पत्र का निर्णय असल अप्रार्थी के पक्ष में करना चाहते है तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू हो रहे है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी ने पूर्व में ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया है। तहत

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के बेजा दबाव व प्रभाव में है। प्रार्थीगण को पूरा यकीन है, कि उक्त अप्रार्थी संख्या एक व तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी आपस में साज बाज हो गए है तथा तहत अदालत के पीठासीनअधिकारी से प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है जिस कारण से न्यायहित में उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना अति आवश्यक है। जिस हेतु नेकनियती से यह प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

मिन प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लछमनगढ के पीठासीन अधिकारी पर बिलकुल भी विश्वास नही रहा है कि वो उक्त मुकदमा में सही व निष्पक्ष न्याय करेगें। न्याय का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय ही नही मिलना चाहिये बल्कि उसे यह लगना भी चाहिये कि उसको सही व निष्पक्ष न्याय मिलेगा। प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवान सोराफ बनाम अबदुल्ला, प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 क तारीख पेशी 26.3.25 को अदालत उप खण्ड अधिकारी लछमनगढ से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल फरमाने की कृपा करे। दोरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थगित रखने के लिए पाबंद किया जावे। खर्चा मुकदमा प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलाया जावें व अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो, बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी पारित की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को असल अप्रार्थी के खिलाफ प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में दायर करने के लिए कोई वादकारण, बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नही होते हैं। प्रार्थी ने दुर्भावनापूर्वक असल अप्रार्थी को नाहक तंग परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने की मंशा से मिथ्या व बेबुनियाद प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया है। प्रार्थी ने मिथ्या मुकदमेंबाजी करके असल अप्रार्थी को बेजा नुकसान पंहुचाया हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा मय हर्जा खर्चा विशेष 20,000/– रूपयें सहित खारिज किये जाने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें। विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को 90 दिवस में निर्णित किया जाना चाहिए। तहत अदालत के ए पीठासीन अधिकारी जब उक्त प्रकरण का फैसला करने का प्रयास करते हैं, तो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश कर दिया जाता हैं, ताकि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निर्णय नही कर सकें।

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश करने का कोई आधार नही हैं, मौखिक कथन व कयास के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश नही किया जा सकता हैं। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर समस्त आरोप मिथ्या लगाये हैं। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के पीठासीन अधिकारी की अच्छे, ईमानदार अधिकारीयों में गिनती की जाती हैं। प्रार्थी ने किसी स्वतंत्र व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश नहीं किये हैं। प्रकरण सन 2022 से विचाराधीन हैं, प्रकरण अंतिम स्टेज पर हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढन्त दर्ज किये हैं, जो वादकारण पैदा करने व प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किये हैं। असल अप्रार्थी की तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नही हैं, ना मैं उनके बारे में कोई जानकारी रखता हूँ, ना मैने पीठासीन अधिकारी से कभी कोई सम्पर्क उनके चैम्बर में अथवा निवास पर जाकर किया हैं। प्रार्थी ने असल अप्रार्थी व तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी पर झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी तहत अदालत से प्रकरण का निस्तारण नही होने देना चाहते हैं, और मुकदमा को देरीना करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया गया हैं। अन्यथा प्रार्थी को अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र मुंतकिली

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

मुकदमा पेश करने के लिए असल अप्रार्थी के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नही होता हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जा रही हैं। प्रार्थी ने मुकदमा को मुन्तकिल किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित दर्ज नही किया गया हैं, मौखिक अभिवचन की कोई मान्यता नही हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा दुर्भावनापूर्वक पेश किया हैं। कोई नेकनियती नही हैं। मुकदमा मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नही हैं, मुकदमा को तहत अदालत से किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से पक्षकारान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में काफी परेशानी होगी, एंव काफी समय लगेगा, तथा अनावश्यक खर्चा व समय लगेगा। जिससे सुलभ, सस्ता एंव त्वरित न्याय प्राप्त होने में विलम्ब होगा। मुकदमा दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से असल अप्रार्थी को नापूर्ति होने वाली हानि होगी। प्रार्थी मौजूदा सूरत में कोई अनुतोष पाने का नैतिक एंव विधिक रूप से अधिकारी नही हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा मौजूदा सूरत में पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं, सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थी असल अप्रार्थी के खिलाफ मय हर्जा खर्चा विशेष 20,000/– रूपये खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में वर्ष 2020 आर बी जे पेज 246, 2020 आर बी जे पेज 526, 2020 आर बी जे पेज 529 कानूनी नजीरे पेश की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि बिन्दु संख्या 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी. एक्ट के तहत बउनवान सौराफ बनाम अब्दुल्ला वगै० का इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.04.2025 नियत है। बिन्दु संख्या 02 अस्वीकार है, मनगढन्त व झूठा है। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्दु संख्या 03, 04, 05 खंडन, मनगढ़ंत एवं झूठे हैं। बिन्दु संख्या 06, 07 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 08 स्वीकार है। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्दु संख्या 09 व 10 कानूनी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान